वित्तीय स्वीकृति

संख्या-26/2018/272/एक-5-2018-40/2013

प्रेषक,

किंजल सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : : दिनांक 12 मार्च, 2018**

विषयः-जनपद बिजनौर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2123/12-भवन-14/2002 दिनांक 02 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बिजनौर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-171/एक-5-2013-40/2013, दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की अवमुक्त की गयी थी। शासनादेश संख्या-731/एक-5-2014-40/ 2013, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा जनपद बिजनौर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु मानकीकृत ड्रांइग एवं डिजाइन की लागत रू0 1040.94 लाख को संशोधित कर धनराशि रू0 1020.73 लाख की गई। तथा शासनादेश संख्या-89/एक-5- 2016-40/2013, दिनांक 02 फरवरी, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 74.53 लाख तथा शासनादेश संख्या-1615/एक-5-2016-40/2013, दिनांक 24 नवम्बर, 2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 408.29 लाख अवमुक्त/स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में प्रश्नगत कार्य की निरन्तरता बनाये रखने एवं कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 286.87 लाख (रूपये दो करोड़ छियासी लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षत लागत के सापेक्ष अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग, प्रायोजना का कार्य पूर्ण होने तथा व्यय की गयी धनराशि का संबंधित जिलाधिकारी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए की जायेगी।

(4) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
किंजल सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-26/2018/272(1)/एक-5-2018-40/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, बिजनौर।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्शट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0(पूर्ववर्ती नाम उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम)/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।